

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- एफ.10(36)आयु./2018 पार्ट-4

जयपुर, दिनांक:- 14.06.2019

-:: आदेश ::-

होम्योपैथिक विभागान्तर्गत वर्तमान में कई चिकित्सालय/औषधालय में पद रिक्त होने से चिकित्सा सेवा प्रभावित हो रही है, अतएव लोक हित एवं प्रशासनिक कारणों के मध्यनजर निम्नांकित दोहरा पदस्थापित अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
1.	डॉ. रितु अग्रवाल	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राजकीय सामान्य चिकित्सालय, महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर	राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय, सिटी, पाली	रिक्त पद पर
2	डॉ. रुचि गुप्ता	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, संजय नगर, कोटा	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, कोटा	डॉ. गुंजन डांगी के स्थान पर
3	डॉ. गुंजन डांगी	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, दादाबाड़ी, कोटा	राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, झालावाड	रिक्त पद पर

नोट:- उक्त को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।


आज्ञा से,
एस.डी.
(एच.एम.ढाका)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2018/2830-48 दिनांक:- 14.06.2019
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ.10(36) आयु./2018 पार्ट-4 दिनांक 14.06.2019 के क्रम में सूचनार्थ।
- प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, सामान्य चिकित्सालय, महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर/सोजत सिटी, पाली/संजय नगर, कोटा/ दादाबाड़ी, कोटा/झालरापाटन, झालावाड।
- संबन्धित, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, डॉ. रितु अग्रवाल/डॉ. रुचि गुप्ता/डॉ. गुंजन डांगी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर तत्काल इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।
- विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को ई-मेल कर सूचित करे।
- कार्यालय की लेखा शाखा/कैश शाखा/विधी शाखा/सामान्य शाखा/स्टोर शाखा।
- रक्षित पत्रावली।


(डॉ. मुनीषा सक्सेना)
कार्यालयाध्यक्ष एवं सहायक निदेशक